

आदिवासी महिलाओं का भूमि के साथ संबंध और उसके अधिकार पर किया गया मंथन

□ जेंडर, स्वदेशी व भूमि अधिकारों पर एक्साइएस ने हुई चर्चा

लाइफ रिपोर्ट @ रांची

जेवियर समाज सेवा संस्थान (एक्साइएसएस) रांची और ईंडियन एसोसिएशन फॉर वीमेन स्टडीज ने महिला अध्ययन केंद्र इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट रांची विश्वविद्यालय के सहयोग से गुरुवार को संस्थान के सभागार में पैनल चर्चा का आयोजन किया। इसका विषय था झारखण्ड में जेंडर, स्वदेशी और भूमि अधिकारों की वस्तुस्थिति। इस कार्यक्रम में आदिवासी महिलाओं के भूमि के साथ संबंध और उसके अधिकार पर चर्चा की गयी। आदिवासियों के विस्थापन, प्रवास और गरीबी जैसे मुद्दों पर पैनलिस्टों ने सत्र के दौरान जोर दिया। पैनल चर्चा के पहले सत्र में डॉ वंदना टेटे, डॉ शलिनी साबू, रोशन होरो, डॉ सुनीता पूर्णि, डॉ रामचंद्र उरांव वौर बिटिया मुर्मू शामिल हुईं। वहाँ



पैनल चर्चा के दौरान कई बातें आयी सामने

पैनल चर्चा में डॉ शलिनी साबू ने आदिवासी प्रथागत कानून के भीतर भूमि के उत्तराधिकार की बहस पर कानूनी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वहाँ डॉ वंदना टेटे ने आदिवासी विश्व दृष्टिकोण के भीतर भूमि को एक पहचान और सामूहिक संपत्ति के रूप में देखने का दृष्टिकोण सामने रखा। वही डॉ पूर्णि ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि कैसे वैश्वीकृत नवउदारवादी युग में

आदिवासी महिलाओं द्वारा भूमि को एक पूंजी के रूप में देखा गया, जो उन्हें अपने भविष्य को बेहतर ढंग से संभालने में मदद कर सकती है। मौके पर आइएसडब्ल्यूएस की प्रभारी प्रो रंजना श्रीवास्तव, रांची विवि अर्थशास्त्र विभाग के महिला अध्ययन केंद्र के प्रभारी डॉ ज्योति प्रकाश, एक्साइएसएस के रुरल मैनेजमेंट कार्यक्रम के सहायक प्रोफेसर डॉ प्रमिल के पांडा सहित अन्य मौजूद थे।

दूसरे सत्र में प्रोफेसर रमेश शरण, डॉ मीनाक्षी मुंडा, एलिना होरो, नयन

कुमार सोरेन और आलोक कुजूर शामिल हुए।

PRESS : PRABHAT KHABAR



जेवियर समाज सेवा संस्थान में गुरुवार को पैनल चर्चा कार्यक्रम में मौजूद अतिथि।

झारखण्ड में भूमि अधिकारों पर विमर्श

रांची। जेवियर समाज सेवा संस्थान में इंडियन एसोसिएशन फॉर विमेन स्टडीज और रांची विवि के अर्थशास्त्र विभाग के महिला अध्ययन केंद्र के सहयोग से गुरुवार को पैनल चर्चा का आयोजन हुआ। झारखण्ड में जेंडर, स्वदेशी और भूमि अधिकारों की वस्तुस्थिति विषय पर चर्चा में। डॉ वंदना टेटे, डॉ शालिनी साबू, रोशन होरो, डॉ सुनीता पूर्णि, डॉ रामचंद्र उरांव और बिटिया मुर्मू ने भाग लिया। डॉ शालिनी ने आदिवासी प्रथागत कानून के भीतर भूमि के उत्तराधिकार पर बहस पर कानूनी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

PRESS : HINDUSTAN

एक्सआईएसएस में झारखंड में जेंडर, स्वदेशी और भूमि अधिकारों की वस्तुस्थिति पर पैनल चर्चा का आयोजन

आदिवासियों के जीवन में भूमि महत्वपूर्ण : फादर माइकल वैन

पंच संवाददाता

रांची। जोखर सभाज सेबा संस्थान (एक्सआईएसएस), रांची और इंडियन एसोसिएशन फॉर विमेन हाचन और समुदायबद का एक ट्रस्टीज (आईएडब्ल्यूएस) ने महिला अध्ययन केंद्र, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इको-नॉविलम, रांची विश्वविद्यालय के सहयोग से गुरुवार को अपने परिसर में फादर माइकल वैन डेन बोगार्ट एजेंट ऑफिशियल में झारखंड में जेंडर, स्वदेशी और भूमि अधिकारों की वस्तुस्थिति पर पैनल चर्चा का आयोजन किया।

कार्यक्रम में आदिवासियों के भूमि के साथ चर्चित संवैधि, जो उनके रोजगारी (स्टीलटोर), 1949 संथाल परगना के भौतिक अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण आधार हो नहीं, बल्कि एलएआरआर 2013 और पंचायत उनके आधारिक, नीतिक और सांस्कृतिक जीवन में भी भूमि

महत्वपूर्ण है, इसपर चर्चा की गयी। यह उनके पूछों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी और आदिवासी हाचन और समुदायबद का एक प्रमुख तत्व है। भूमि अलगाव, भूमि पर समुदायिक अधिकारों का क्षण, परिणामस्वरूप विस्थापन, प्रवास और गरीबी जैसे प्रारम्भिक मुद्दे और उन्होंने आदिवासी महिलाओं के जीवन को महत्वपूर्ण तरीकों से कैसे प्रभावित किया है, वे विषय थे जिन पर पैनिलटोरों ने सज्जो के दौरान जोर दिया। चर्चा के दौरान 1908 लोटानागुरु काशतकारी अधिनियम (स्टीलटोर), 1949 संथाल परगना काशतकारी अधिनियम (एसपीटोर), महत्वपूर्ण आधार हो नहीं, बल्कि विस्तार अनुभूची अधिनियम (पेसा) 1996 पर भी विस्तार से चर्चा की

University Department of Economics, Ranchi University
(Jharkhand Women's Studies Project)
Supported by Indian Association for Women's Studies
In collaboration with
Xavier Institute of Social Service
Ranchi, Jharkhand

Date : 20/01/2024
Time : 10:00 AM - 05:30 PM
Add.: Auditorium, XISS

जगती
130 R BPS
Guest Class
Teacher Sp
Guitarist Sa
Guitarist
Gymnast
At Classroom
Library Computer
ओर इन बदलावों ने आदिवासी महिलाओं के अधिकारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इस प्रकार, महिलाओं के अधिकारों को लायू करने के लिए एक शेत्र के रूप में कानूनी अवस्था के महल प्रकाश ढाला गया। पैनल चर्चा का नेतृत्व डॉ बंदा टेट, डॉ शालिनी साहू, गोकर्ण होशे, डॉ चुनीता पूर्ण, डॉ गणेश उराव और विद्या मुमू ने किया। डॉ शालिनी साहू ने आदिवासी प्रश्नागत कानून के भीतर भूमि के उत्तराधिकार पर बहर पर कानूनी हाइकोण प्रस्तुत किया, दूसरी ओर डॉ बंदा टेट ने आदिवासी विश्व हाइकोण के भीतर भूमि को एक 'पहचान' और सामूहिक संपत्ति के रूप में देखने के हाइकोण को समने रखा।



गई। आदिवासियों की वर्तमान दृष्टिकोण के विश्वास के पांच बेदखली और एकायन के साथ-साथ नव-उदारवादी कानूनी हाईनों पर विशेष नामों के पूर्जीपत्रियों का आदिवासी जीवन में संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई।

प्रवश, भूमि अधिकारिय, अवैध खनन साथ ही इस बात पर जोर दिया गया गतिविधि और घटने बन सेत्र हैं, और इसपर विचार की अविलम्ब आवश्यकता है। आदिवासी विकास करने के लिए समुदाय, महत्वपूर्ण के लिए व्यवस्थाएँ बढ़ाव दी जा सकता। यह समझना भी उन्होंने भूमि के महत्वपूर्ण के लिए व्यवस्थाएँ बढ़ाव दी जा सकता। यह समझना भी उन्होंने भूमि को एक 'पहचान' और सामूहिक संपत्ति के रूप में देखने के हाइकोण को समने रखा।

PRESS : PUNCH



[BREAKING NEWS](#)

[LATEST NEWS](#)

[कैप्स](#)

[झारखण्ड](#)

झारखण्ड में जेंडर, स्वदेशी और भूमि अधिकारों की वस्तुस्थिति पर पैनल चर्चा

June 20, 2024 | Lens Eye News | Comment(0)

राची, झारखण्ड | जून | 20, 2024 ::

जेवियर समाज सेवा संस्थान (एक्सीएसआईएसएस), राची और डंडियन एसोसिएशन फॉर विमेन स्टडीज (आईएडब्ल्यूएस) ने महिला अध्ययन केंद्र, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, राची विश्वविद्यालय के सहयोग से गुरुवार को अपने परिसर में फाटार माइकल वैन डेन बोगार्ट एसजे ऑफिटोरियम में 'झारखण्ड में जेंडर, स्वदेशी और भूमि अधिकारों की वस्तुस्थिति' पर पैनल चर्चा का आयोजन किया।

कार्यक्रम में आदिवासियों के भूमि के साथ घनिष्ठ संबंध, जो उनके रोजमर्रा के भौतिक अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण आधार ही नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक जीवन में भी भूमि महत्वपूर्ण है, इसपर चर्चा की गयी। यह उनके पूर्वजों के लिए एक महत्वपूर्ण कहीं और आदिवासी पहचान और समुदायवाद का एक प्रमुख तत्व है। भूमि अलगाव, भूमि पर सामुदायिक अधिकारों का क्षरण, परिणामस्वरूप विस्थापन, प्रवास और गरीबी जैसे प्रासंगिक मुद्दे और उन्होंने आदिवासी महिलाओं के जीवन को महत्वपूर्ण तरीकों से कैसे प्रभावित किया है, वे विषय थे।

जिन पर पैनलिस्टों ने सत्रों के दौरान जोर दिया।

चर्चा के दौरान 1908 छोटानागपुर काशकारी अधिनियम (सीएनटीए), 1949 संचाल परगना काशकारी अधिनियम (एसपीटीए), एलएआरआर 2013 और पंचायत विस्तार अनुसूची अधिनियम (वेसा) 1996 पर भी विस्तार से चर्चा की गई। आदिवासियों की वर्तमान दयनीय स्थिति के पीछे बेदखली और पलायन के साथ-साथ नव-उदारवादी पूँजीपतियों का आदिवासी जीवन में प्रवेश, भूमि अधिग्रहण, अवैध खनन गतिविधियाँ और घटते घन क्षेत्र हैं, और इसपर विचार की अविलम्ब आवश्यकता है।

आदिवासी महिलाओं के भूमि अधिकारों के न्यायोचित निर्धारण के लिए मौजूद कानूनी ढाँचों पर विशेष मामलों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि आदिवासी महिलाओं के अधिकारों की जमीनी समझ विकसित करने के लिए समुदाय, सामुदायिक स्वामित्व और आम सहमति के बारे में आदिवासी समझा बहुत ज़रूरी है। हालांकि, ऐसी अवधारणाओं को ऐसे ही नहीं समझा जा सकता। यह समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसी व्यवस्थाएँ वड़ी प्रक्रियाओं से प्रभावित हुई हैं और ये व्यवस्थाएँ, संस्थाएँ बदलती रही हैं और इन बदलावों ने आदिवासी महिलाओं के अधिकारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इस प्रकार, महिलाओं के अधिकारों को लागू करने के लिए एक शीत्र के रूप में कानूनी व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

पैनल चर्चा का नेतृत्व डॉ वंदना टेटे, डॉ शालिनी साबू, रोशन होरो, डॉ सुनीता पूर्णि, डॉ रामचंद्र उराव और विटिया मुर्मू ने किया। डॉ शालिनी साबू ने आदिवासी प्रथागत कानून के भीतर भूमि के उत्तराधिकार पर बहस पर कानूनी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, दूसरी ओर डॉ वंदना टेटे ने आदिवासी विश्व दृष्टिकोण के भीतर भूमि को एक 'पहचान' और सामूहिक संपत्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण को सामने रखा। दूसरी ओर डॉ पूर्णि ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि कैसे वैश्वीकृत नवउदारवादी युग में भूमि के वस्तुकरण के परिणामस्वरूप आदिवासी महिलाओं द्वारा भूमि को एक पूँजी के रूप में देखा गया है जो उन्हें अपने भविष्य को बेहतर ढंग से संभालने में मदद कर सकती है क्योंकि आज आदिवासी पूँजी संचालित अर्थव्यवस्था के भीतर जीवित रहने की चुनौतियों से निपत्ते हैं। अंत में डॉ रामचंद्र उराव ने आदिवासी महिलाओं द्वारा भूमि उत्तराधिकार पर बहस पर कानूनी कार्यान्वयन की चुनौतियों का पता लगाया और कानून बनाने से पहले कानूनी ढाँचे के भीतर एक आदिवासी दृष्टिकोण विकसित करने का अपना समाधान प्रस्तुत किया। दूसरे पैनल ने आज के संदर्भ में भूमि की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के इर्द-गिर्द चर्चा शुरू की और इसमें विटिया मुर्मू एलिना होरो, नयन कुमार सोरेन और आलोक कुर्जूर ने भाग लिया। इस पैनल चर्चा के संयोजक झारखण्ड महिला अध्ययन परियोजना, आईएडब्ल्यूएस की प्रभारी प्रोफेसर डॉ रंजना श्रीवास्तव और रांची विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के महिला अध्ययन केंद्र की प्रभारी डॉ ऊपेति प्रकाश थे। समन्वयकों में आईएडब्ल्यूएस की झारखण्ड सभिति की संयोजक अभियान कुमारी, महिला अध्ययन केंद्र की समन्वयक डॉ ममता कुमारी, आईएडब्ल्यूएस में शोध अनुदान प्राप्त अलूणोपील सील, वेस्टमिस्टर विश्वविद्यालय, यू.के. के डॉक्टरल फेलो और एक्सआईएसएस में रूरल मैनेजमेंट कार्यक्रम के सहायक प्रोफेसर डॉ प्रभिल के, पांडा शामिल थे।

PRESS : NEWS ROOM